विचार बिन्दु

केवल आत्मज्ञान ही हृदयात्मा को सच्चा आनंद प्रदान करता है। –रामतीर्थ

चुनाव के हेतु मतदाता सूची चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326, 327 व 328 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बनाई जाती है

सटीक मतदाता सूची, लोकतंत्र का प्राण है। मतदाता सूचियों की शुचिता की पूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। समय-2 पर मतदाता सूचियों का परीक्षण भी आवश्यक प्रतिक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पिछली मतदाता सूची की तुलना में पाई जाने वाली विसंगतियों और बदलाव को चिन्हित किया जाकर, मतदाता सूचियों को शुद्ध किया जाता है। बिहार में इस समय वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा का कार्य SIR (एसआईआर) चल रहा है। बिहार में 1.56 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं। सभी दलों ने अपने अपने एजेन्ट नियुक्त किये हैं। वार्ड के निवासी वांछित जानकारी उपलबध कराते हैं। फार्मस् को अपलोड किया जाता है। आपत्तियां ली जाती हैं। सुनवाई की जाती है। विशेष गठित टीम सुपरवाईज करती है। प्राप्त डोकूमेन्ट्स का परीक्षण होता है। अपील का भी प्रावधान है।

संविधान में अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को दिये हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है यह देश की एक मात्र संवैधानिक संस्था है जिसे निर्वाचन के सम्बन्ध में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान निर्मात्री के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 325 में इस संस्था को मतदाता सूची बनाने का अधिकार है, पात्र व्यक्ति को सूची में शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 326 स्पष्ट निर्देश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 327 में यह निर्देश है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समय-2 पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन, राज्य के विधान मंडल तथा विधान मंडल के सदस्यों के लिये निर्वाचन (मतदान) सूची तैयार कराना आदि सभी विषय हैं, उपबन्ध कर सकेगी। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन सम्बन्धित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव आयोग की शक्तियों के अधीन संसद का कानून है।

संविधान की उपरोक्त समीक्षा के अनुसार यह स्पष्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 324, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 कानूनी और संवैधानिक बाध्यतायें निश्चित करते हैं और मतदाता सूचियों के मामलों में चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है, यहां तक संविधान को न्यायालय का कोई दखल भी स्वीकार नहीं है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि परम शक्ति प्राप्त देश का चुनाव आयोग है और देश का नागरिक ही केवल मतदान करने का अधिकारी है।

बिहार में SIR (एसआईआर) को लेकर मतदाता सूचियों में कई विसंगतियों को चिन्हित करते हुये प्रश्न उठाये हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची को चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी की गई है, उनके नाम प्रकाशित किये हैं जो अब पुन: फार्म भरकर देंगे और चुनाव आयोग के अधिकारी उन पर विचार कर अपना निर्णय देंगे कि कितने नाम मतदाता सूची में जोड़े जावेंगे और कितनों के नाम काटे जावेंगे। अभी तक 12 राजनीतिक पार्टियों में से एक ने 12 आपत्तियां पेश की हैं। दिनांक 8 सितम्बर को पुन: सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।

विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाता सूचियों की विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है और वह गलत रूप से मतदाताओं के नामों को काट रहा है और उसका यह कार्य वोट चोरी कहा जा रहा है। वोट चोरी के आरोप संसद में, संसद के बाहर और सडकों पर तथा अब तो यात्रा के आयोजनों में लगाये जा रहे हैं। विपक्ष के सभी नेता, जो राहुल गांधी के साथ में अपने को बता रहे हैं वे भी केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के गम्भीर आरोप लगा रहे हैं। देश का माहौल बिगडा हुआ है। नारों में शालीनता व सभ्यता कहीं खो गई है। चुनाव आयोग को कटघड़े में खडा किया गया है। विपक्ष संवैधानिक संस्था को सम्मान देना भूल गया है वह भूल गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51क में जो देश के प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य निर्धारित किये हैं उनमें एक कर्त्तव्य यह भी है कि प्रत्येक नागरिक संवैधानिक संस्थाओं का आदर करेगा।

वस्तुतः विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें।

चुनाव आयोग ने कुछ दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेरेंस आयोजित की थी, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने राहुल गांधी से कहा है कि वे एक सप्ताह में शपथ पत्र देकर और प्रमाण देवें कि वोट चोरी के आरोपों का आधार क्या है, यानी वोटर लिस्ट की कौनसी विसंगति का वोट चोरी से सम्बन्ध है। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि या तो वे शपथ पत्र प्रस्तुत करें अथवा वे अपने आरोप के लिये जनता से माफी मांगे। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि राहुल गांधी के अरोप बिहार तक सीमित नहीं हैं अपितु वे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि अन्य राज्यों में पहले हो चुके चुनावों के बाबत भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है और प्रासांगिक भी राहुल गांधी इनमें से किसी राज्य के मतदाता नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो शपथ पत्र सबूतों सहित पेश करने को कहा है उसका आधार मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 20(3)(बी) है। जिसमें उल्लेख है कि जो व्यक्ति चुनाव राज्य की मतदाता सूची में मतदाता पंजीकृत नहीं है, यदि वह व्यक्ति चुनाव की मतदाता सूची की वैधता को विसंगतियों के आधार पार चुनौती देता है तो उसे शपथ पत्र सबूतों के साथ देना चाहिये। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु अभी तक राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, उनमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति (नोटिस देने वाला) उत्तर नहीं देता है तो यह माना जावेगा कि उसके आरोप गलत हैं।

पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उक्त नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति यदि विसंगतियों पर झूठे आरोपों का प्रचार करता है और मतदाताओं की भावनाओं को भड़काता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 191 में विधानसभा की सदस्यता लिये निरर्हतायों (Disqualifications) का उल्लेख है, उसके उप प्रावधान (1)(ई) में उल्लेख है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया गया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि मतदाता सूचियों के मामलों में जो व्यक्ति अपराध करता है और उसे 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित होगा, तथा यदि वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो स्वत: विधानसभा की सीट संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त घोषित मान ली जावेगी।

वस्तुत: विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें। इस कारण से राहुल जी से चुनाव आयोग ने रूल 20(3)(बी) के अनुसार शपथ-पत्र देने को कहा था और उन्होंने न तो शपथ-पत्र दिया और न सबूत और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। अत: चुनाव आयोग ने कहा कि उनके आरोप आधार रहित हैं। प्रश्न है चुनाव आयोग अब क्या कदम उठाता है, यह हमें देखना है। हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

लेखक का अपना विचार है, कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव कमीशनर को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। जनता को स्वंय सोचना है कि क्या वह भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान राजनैतिक कारणों से इसी प्रकार होते देखती रहेगी? क्या देश की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है, वोटों की चोरी कर जीतने वाला व्यक्ति कहेंगे, या चुनाव आयोग केन्द्र से मिलकर चोरी कर रहा है ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रत्यक्षत: अपमान जनक है।

लेखक का अपना विचार है कि संसद को एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें प्रावधान हो कि यदि कोई देश का नागरिक संवैधानिक कर्त्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है तो उसे चुनाव में खड़े होने के हेतु क्वेनंसपलि (अयोग्य) करार दिया जावे। अनुच्छेद 51क स्पष्ट करता है भारत के नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह संविधान की पालना करे उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्राणी मात्र के प्रति दया (करूणा भाव) रखे और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे। हिंसा से दूर रहे। क्या चुने हुये सांसदों का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे संसद को अपना कर्त्तव्य निभाने दें। गत दिनों संसद में जो हुआ है, क्या ऐसा करने के हेतु हमने अपने सांसद चुनकर भेजे हैं। देश हम सबका है, केवल विपक्ष का नहीं है। देश कभी भी बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिक को जो देश में घुस आये हैं, अवैध प्रवासी हैं, उन्हें एक व्यक्ति एक चुनाव के नारे से मतदान में भाग नहीं लेने दे सकता है। मतदाता तो वही होगा जो अनुच्छेद 326 के अनुसार देश का नागरिक है। उसे ही वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

सबको सन्मति दे भगवान्!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

"एक पेड़ माँ के नाम-2.0 अभियान" शिक्षा विभाग ने 4.15 करोड़ पौधे लगाये

विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का हो रहा विकास

डॉ. अमृता कटारा

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान की रेतीली धरती को हरी चादर ओढ़ाने का संकल्प लिए हरियालो राजस्थान अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यह सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं, बल्कि हरियाली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के बाद अब अब लक्ष्य रखा है कि आने वाले वर्षों में पौधारोपण को और अधिक संगठित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। इसके तहत पौधों की जियो-टैगिंग, नमी संरक्षण के लिए गड्ढों में जल संरचना और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जा रही है । स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर तक पौधारोपण को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति में 4.15 करोड़ पौधों का पौधारोपण कर प्रथम स्थान हासिल किया गया है। राज्य में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों से जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शिक्षा विभाग के मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। यह पहल शिक्षा और पर्यावरण को साथ लाकर भविष्य की पीढ़ी को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई।

राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी को अभियान का सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने अब अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पौधारोपण को संगठित, तकनीकी और दीर्घकालिक स्वरूप देने पर जोर है। विद्यालयों के साथ महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ और उद्योग जगत भी इस पहल से जुड़ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में वृक्ष ही जीवनरेखा हैं। इनसे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि भूमिगत जलस्तर भी सुधरेगा। साथ ही यह जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण में भी अहम योगदान देंगे। हरियालो राजस्थान अभियान से प्रदेश को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पौधों से होने वाले औषधीय, औद्योगिक और फल-फूल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी होगा और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे।

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हुआ पार- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कि इस साल हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा काल अभी चल रहा है, ऐसे में विभाग इस अभियान के तहत लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। श्री शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आमजन से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की।

विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का हो रहा विकास- स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने इस अवसर पर सभी अध्यापक एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि "हरियालो राजस्थान" केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य से किया गया वादा है। जिस प्रकार 4.15 करोड़ पौधारोपण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल हुआ है, उसी तरह यदि हर नागरिक एक पौधे को जीवनभर संजोने का संकल्प ले, तो राजस्थान निश्चित ही हरियाली की नई मिसाल बनेगा। उन्होंने अपील कर कहा कि हम सब मिलकर यह प्रण लें - एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आने वाली पीढ़ी के नाम लगाएं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत न केवल विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा बल्कि शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान में हरित आवरण में भी वृद्धि होगी, वहीं तकनीक आधारित पारदर्शी रिपोर्टिंग और सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

गौरतलब है कि इस अभियान के तहत सभी पौधों को जिओ टैगिंग के माध्यम से हरियालो राजस्थान ऐप पर दर्ज किया जा रहा है ताकि पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी सतत प्रयास किये जा सकें, साथ ही ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आंकड़ों की पारदर्शिता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक स्कूल की अभियान से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग शाला दर्पण एप के माध्यम से की जा रही है। वहीं विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय स्तर की भागीदारी को सुनिश्चित कर विद्यालय-वार पौधारोपण प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग भी निरंतर की जा रही है। "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण ऐसी पहल है, जो शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती बल्कि प्रकृति और समाज से भी जोड़ती है। अभियान के तहत विद्यालयों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने में योगदान दें।

-डॉ. अमृता कटारा,
सहायक जनसंपर्क अधिकारी,
डीआईपीआर, जयपुर

आत्मा के स्वाभाविक धर्म : दशलक्षण धर्म विश्वशांति का उद्घोषक

भागचंद जैन मित्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत, शाश्वत, सनातन धर्म है। इस युग के जैन धर्म प्रवर्तक वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। जैन धर्म के तीन प्रमुख पर्व वर्ष में तीन बार मनाए जाते है। 1) षोढश कारण भावना पर्व का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव (बंधन) होता है। 2) अष्टान्हिका पर्व सिद्धों की भक्ति का पर्व मनाने से आत्म शुद्धि होती है एवं 3) - दशलक्षण पर्व- इस पर्व को बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद में आने वाले इस पर्व के दौरान आत्मा के दस धर्मों की विशेष आराधना करते है। दस धर्मों का पालन करना साधकों, तपस्वियों के मूल गुण है। श्रावकगण भी आत्म कल्याण के दस धर्मो का पालन करने की चेष्टा करते है। दशलक्षण पर्व आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है, इसको पर्वराज भी कहा जाता है। जैन धर्म में इस पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है।

दशलक्षण धर्म पर्व, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, में दस धर्मों की पूजा, आराधना एवं पालना की जाती है, वे दस धर्म इस प्रकार है:

1) उत्तम क्षमा: दूसरों को क्षमा करना और स्वयं की गलती के लिए दूसरों से क्षमा मांगना।

2) उत्तम मार्दव : विनयशील, विनम्र, कोमल भाव रखना।

3) उत्तम आर्जव: मन की शुद्धता, सरलता बनाए रखना एवं छल-कपट से दूर रहना।

4) उत्तम शौच : पवित्र भावना एवं मन, वचन और शरीर की शुद्धि रखना।

5) उत्तम सत्य : सच बोलना और सच का पालन करना ही सत्य धर्म नहीं है। आत्मा से जो शांति स्वरुप वीतरागता उत्पन्न होती है, वहीं सत्य धर्म है।

6) उत्तम संयम : अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अर्थात आत्म नियंत्रण प्राप्त करना।

7) उत्तम तप: आंतरिक एवं बाह्य 12 प्रकार के तप धारण कर कर्मों का नाश करना।

8) उत्तम त्याग : वास्तविकता में त्याग से प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, देने के सुख का अनुभव होता है।

9) उत्तम अकिंचन: वस्तुओं और व्यक्तियों से आसक्ति न रखना।

10) उत्तम ब्रह्मचर्य: अपने आत्म स्वरूप में रमण करना।

इन दस धर्म में से प्रथम तीन लक्षण भाव धर्म, आगे के पांच लक्षण मोक्ष मार्ग प्राप्ति के उपाय एवं अंतिम दो लक्षण धर्म का सार है।

इनकी पालना कर आत्म शुद्धि की जाती है एवं आत्मानुशासन की ओर अठासर होते है। इन सभी धर्मों के अंतर्गुण नाम से ही स्वत: स्पष्ट है। ये सभी धर्म एक दूसरे के पूरक है। किसी भी एक धर्म की पालना, साधना करने से शेष सभी धर्म आत्मसात हो जाते है एवं साधक के जीवन का अंग बन जाते है। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन के साथ इन गुणों को प्राप्त करने के अर्थ में लिया गया है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के कारण उत्तम धर्म कहा जाता है एवं उत्तम धर्म ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। यह पर्व जिन मंदिरों में विशेष पूजा के साथ बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्मावलंबी सामान्यत: व्यापार एवं नौकरी से अवकाश पर रहते है। इन दस दिनों में जिन अभिषेक, शांतिधारा, पूजा, पाठ, स्वाध्याय यथावत करते है। प्रतिदिन नित्य नियम पूजा के साथ सभी दस धर्मो की पूजा विधान है, किंतु महत्ता की दृष्टि से प्रत्येक दिन क्रमश: अलग अलग धर्म के गुणों का विशेष वर्णन सूक्ष्मतम रूप में पूजा करने के साथ आत्मसात् किया जाता है।

इस पर्व में जैन धर्मावलंबी साधना के मार्ग को अपनाते हुए व्रत, उपवास रखते है एवं कई भक्त दस दिनों तक अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते है एवं इस पर्व में भोजन करने वाले सात्विक भोजन ही सीमित मात्रा एवं आवृति में ग्रहण करते है।

श्रावकगण इस समय का सदुपयोग त्याग, तपस्या, आराधना, साधना का मार्ग अपना कर करते है। यह पर्व अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मशुद्धि एवं कर्मों का क्षय कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व यथाशक्ति दान देने की प्रेरणा भी देता है। इस पर्व के अंत में जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है।

जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने की कला सिखाने वाले दस धर्मो को व्यवहार में उतारने का पर्व दशलक्षण महा पर्व है। उल्लेखनीय है कि इन दस धर्मों पर जैन धर्मावलंबियों का एकाधिकार नहीं है, कोई भी इन्हें अपनाकर मोक्षमार्ग प्रशस्त कर सकता है। दस धर्मो में आत्मिक शांति के साथ वैश्विक शांति निहित है। अपनाकर तो देखिए! श्वेतांबर संप्रदाय में यह पर्युषण पर्व के नाम से आठ दिन के लिए मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20/08/25 से 27/08/25 तक मनाया गया है।

दस धर्म की पालना क्यों ? : भारतीय संस्कृति विश्व में निराली है। यहां हर धर्म समाज में सद्भावना बनी रहती है। यहां के त्यौहार तार्किक आधार पर मनाए जाते है। उनको अपनाने में प्राणी मात्र के साथ समाज एवं राष्ट्र कल्याण निहित होता है। जीवन किसी भी प्रकार से जिया जा सकता है, लड़ाई झगड़ा करके, सामंजस्य के साथ या सद्भावना यानी एक दूसरे का मंतव्य समझते हुए। भाद्रपद मास में आने वाला दशलक्षण पर्व में भी बहुत सारे संदेश छिपे हुए है। दस दिन तक लगातार जब व्यक्ति भक्ति, पूजा पाठ, स्वाध्याय एवं नियमित रूप से आत्म चिंतन, ध्यान करता है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन वह भी सीमित मात्रा में ग्रहण करता है तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिकता जीने की एक कला है। इस दौरान मुनिसंघों के सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक, ध्यान शिविर लगाए जाते है। शिविरार्थी इस दौरान उसी स्थान पर रहते है। इन शिविरों में सात्विक नियमों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस पर्व में सभी दश धर्म की विवेचना एवं पालना की जाती है। कोई भी नास्तिक या किसी भी धर्म का मानने वाला आस्तिक भी इन धर्मों से विमुख नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ये धर्म शाश्वत है, सर्व कालीन है।

किसी भी राष्ट्र की उन्नित, शांतिपूर्ण वातावरण से ही संभव है, जो दस धर्म में निहित है। इसे वैश्विक स्तर पर अपनाने से विश्व शांति संभव है। सद्भाव और सामंजस्य, अहिंसा और दया का प्रसार, नैतिक मूल्यों का विकास, माया - कपट और ढोंग का त्याग करने और निष्कपट आचरण करने की शिक्षा, आत्म-चिंतन और आत्म-निरीक्षण का अवसर, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित आदि इन सद्गुणों का जब समाज में लोग पालन करते हैं, तो विवाद और संघर्ष कम होते हैं, जिससे सामाजिक शांति और स्थिरता बढ़ती है।

व्याप्त समस्याएं : एक दूसरे से अवांछित होड़ में परिवार में कई समस्याएं जन्म लेने लगती है। बोल चाल बंद होना, सामंजस्य का आभाव, आर्थिक तंगी, नशा करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, हिंसा, विवाह विच्छेद, बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह समाज को भी निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि असमानता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, पर्यावरण प्रदूषण बाल विवाह व दहेज प्रथा आदि समस्याएँ समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त प्रमुख समस्याओं में सीमा विवाद, आतंकवाद, टैरिफ वार, वर्चस्व स्थापित - महाशक्ति बनने का जुनून, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक असमानता, ऋण संकट आदि से जूझ रहा है।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना

दस धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है। प्रत्यके व्यक्ति द्वारा इन धर्मों की पालना करना कठिन नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, जिनसे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है एवं हमारी आत्मा परम पवित्र बनती है। इन्हें अपनाने से हमारा आत्म विश्वास जागृत होता है क्यों हम किसी के भी प्रति बदले की भावना नहीं रखते है, ज्यादा पाने की इच्छा नहीं रहती है, करुणा के भाव के कारण हम एक दूसरे का सहयोग करते है। ऐसे विचारों से मानसिक स्थिति सुदृढ़ बनती है एवं काया भी निरोगी बनी रहती है, जो हमे सुख की अनुभूति देता है। इस पर्व के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिक शिविर लगाया जाता है, जिनमें लाखों व्यक्ति सम्मिलित होकर सुख की अनुभूति करते है।

दस दिन तक एक व्यक्ति स्वयं में व्याप्त सद्गुणों को अपना लेता है तो ये गुण परिवार से समाज में एवं समाज से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इनका फैलाव हो जाता है। परिवर्तन एवं सुधार के लिए मात्र एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक परिवार में, समाज में एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त विरोधाभास मात्र एक व्यक्ति द्वारा दूर हो सकता है। अपने समय में एक तीर्थंकर द्वारा ही सबका उद्धार हो जाता है। अहिंसक एवं क्षमा की प्रवृति दो देशों के बीच हजारों वर्षों से चली आ रही दुश्मनी दूर कर देती है। यूक्रेन - रूस, इजराइल -लेबनान, गाजापट्टी के बीच शांति का वातावरण तैयार हो रहा है। संवेदन शीलता पनप रही है। करुणा का भाव रखकर एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगे है।प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की ओर बढ़ने लगे है। अध्यात्म ही हमे जीवन मरण से छुटकारा दिलाकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। इन सबसे अपराधों का ग्राफ नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। सबमें भाईचारे की भावना विकसित होगी। आपस में सामंजस्य का अवसर मिलेगा। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी।

संकलन--भागचंद जैन
मित्रपुरा,
अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन
बैंकर्स फोरम जयपुर

राशिफल शुक्रवार 29 अगस्त, 2025

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, स्वाती नक्षत्र दिन 11:39 तक, ब्रह्म योग दिन 2:13 तक, कौलव करण प्रात: 7:09 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 11:39 तक है। कुमार योग दिन 11:39 से रात्रि 8:22 तक रहेगा। आज सूर्य षष्ठि व्रत, कार्तिक स्वामी दर्शन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:43 तक, लाभ-अमृत 7:43 से 10:53 तक, शुभ 12:28 से 2:03 तक, चर 5:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 6:47

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रगति होगी।

मकर

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

तुला

व्याव